वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और जमीअत उलमा-ए-हिन्द का 100 वर्षीय संघर्ष

आदेशानुसार

हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी

अध्यक्ष जमीअत उलमा–ए–हिन्द

आदेशानुसार

(मौलाना) असजद मदनी

उपाध्यक्ष जमीअत उलमा–ए–हिन्द

प्रकाशकः-
जमीअत उलमा-ए-हिन्द
1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–2

वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और जमीअत उलमा-ए-हिन्द का 100 वर्षीय संघर्ष

आदेशानुसार

हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी

अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द

संकलन

(मौलाना) **असजद मदनी**

उपाध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा–ए–हिन्द

1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–2

शुरू अल्लाह के नाम से, जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है।

भूमिका

जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने देश और इस्लामी पहचान की सुरक्षा के लिए जो सेवाएं प्रदान की हैं वो इतिहास का उज्जवल अध्याय हैं।

हमारे महान पूर्वजों ने हर ज़माने में संघर्ष, दृढ़ता और संकल्प का ऐसा इतिहास रचा है जिससे मुसलमानों ने सर उठाकर इस देश में जीना सीखा है।

शेखुलइस्लाम के जानशीन और उनकी शिक्षा एवं ज्ञान के रक्षक अमीरुलहिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अपने पूर्वजों की परम्परा को जीवित रखते हुए देश और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठने वाले हर तूफान का जमीअत उलमा-ए-हिन्द के मंच से जिस समझदारी, दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ संविधान की सीमा में रहते हुए मुक़ाबला किया है, उसने इस ज़हरीले वातावरण में मुसलमानों को सम्मान के साथ जीने का और अधिक साहस दिया है।

भारतीय मुसलमानों की क़ीमती पूंजी और देश में खरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा भी जमीअत उलमा-ए-हिन्द की सेवाओं का उज्जवल अध्याय है। इसकी सुरक्षा और पुनःप्राप्ति के लिए जमीअत उलमा-ए-हिन्द के नेतृत्व ने लगातार जो सेवाएं प्रदान की हैं उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट वर्तमान परिपेक्ष में 'वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और जमीअत उलमा-ए-हिन्द का 100 वर्षीय संघर्ष' के रौशन नमूने आप इन पृष्ठों में पढ़ें।

वमाअ़लैना इल्लल्लबलाग़

(हमारा एकमात्र कर्तव्य आप तक संदेश पहुंचाना है)

असजद मदनी

उपाध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिंद

9, अक्तूबर 2024

वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और जमीअत उलमा-ए-हिन्द का 100 वर्षीय संघर्ष

भारत के मुसलमान जिन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें वक़्फ़ की संपत्तियों की सुरक्षा और उनका उचित उपभोग भी एक अहम और सुलगता हुआ मुद्दा हैं। देश में हर जगह फैली हुई वक़्फ़ की धार्मिक स्थिति अपनी जगह परिपूर्ण और स्थिर है जिनकी पंजीकृत संख्या पाँच लाख से अधिक है और उनका कुल छेत्रफल छः लाख से अधिक एकड़ पर फैला हुआ है जबकि नए सर्वे की स्थिति में और हज़ारों की संख्या में नई वक़्फ़ की संपत्तियों का पता चल सकता हैं। निःसंदेह वक़्फ़ की यह संपत्तियां भारतीय मुसलमानों की अमूल्य धरोहर और पूंजी हैं जिनके मूल्य का अनुमान (आज से छः वर्ष पहले) सच्चर कमेटी ने एक लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये लगाया था। मगर अफसोस कि इन वक़्फ़ संपत्तियों से वार्षिक आय केवल 63 करोड़ रुपये हो रही है। इन संपत्तियों को हानि पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर साज़िशें की जा रही हैं, इनके मूल अस्तित्व को मिटाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए वक़्फ़ की सुरक्षा का मुद्दा स्थाई संघर्ष और ध्यान देने योग्य है।

इसी लिए जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने वक़्फ़ की सुरक्षा को शुरू ही से न केवल प्राथमिकता दी बल्कि उसके स्थाई महत्व को देखते हुए उसे अपने नियमावली का एक अहम हिस्सा भी बना लियांदेश की स्वतंत्रता से पहले और बाद में जब भी वक़्फ़ के अस्तित्व पर गंभीर खतरात मंडलाने लगे, जमीअत उलमा-ए-हिन्द उसके ख़िलाफ़ मैदान में कूद पड़ी। वक़्फ़ की सुरक्षा के लिए उसके संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है (अतीत का विवरण एवं सेवाओं का उल्लेख बाद की पंक्तियों में किया जाएगा।) अफसोस कि जब केन्द्र की धर्मनिरपेक्ष समझी जाने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव और वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 प्रस्तुत किया तो उसने मुस्लिम वक़्फ़ के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। 1995 के वक़्फ़ एक्ट के संशोधन बिल में गंभीर ख़ामियां थीं। यहां तक कि इसमें वक़्फ़ की मूल आत्मा अर्थात वक़्फ़ और वक़्फ़कर्ता की इच्छा ही को समाप्त कर दिया गया था। इस श्रृंखला में कहीं शब्द ‘मुस्लिम’ का उल्लेख नहीं था। इस गंभीर स्थिति पर

भारत के मुसलमानों के पुरानी और सक्रिय संगठन जमीअत उलमा-ए-हिन्द, जो धार्मिक और शरीयत के मामलों में हमेशा संवेदनशील रही है और कभी आशंका का शिकार नहीं हुई, कैसे मौन रहती। अपनी इसी संवेदनशीलता के अंतर्गत जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अखिल भारतीय वक़्फ़ सुरक्षा सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया ताकि शासकों तक भारत के मुसलमानों की यह आवाज़ पहुंचाई जा सके कि उन्हें ऐसा फार्मूला या प्रस्ताव अथवा संशोधन स्वीकार नहीं जो वक़्फ़ की सुरक्षा और इसके उचित प्रयोग के लिए ख़तरा का कारण हो। राजधानी नई दिल्ली में स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सैंटर में 22 मई 2011 को आयोजित इस देश-व्यापी सम्मेलन में देश के हर कोने से शरीयत के विशेषज्ञों, उलमा, धार्मिक संस्थओं के ज़िम्मेदारों अथवा राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बड़ी संख्या ने भाग लिया। इस अवसर पर जमीअत उलमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष और दारुलउलूम देवबंद में हदीस के अध्यापक हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो जोशीला और ज्ञानवर्धक अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत दिया, वो लम्बे समय तक याद रखा जाएगा जिसने शासकों में हलचल पैदा कर दी।

आदरणीय अध्यक्ष ने कहाः-

‘‘इस समय वक़्फ़ के संबंध में तीन अहम समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनके लिए हमें चिंतित और गंभीर होना पड़ेगा। एक तो वक़्फ़ संशोधन एक्ट 2010, जो इस समय राज्य सभा की चयन समिति के पास है, जिसके सदस्यों से जमीअत उलमा-ए-हिन्द स्थाई संपर्क में है और हमारा यह प्रयास है कि चयन समिति इस बिल को अंतिम रूप देने से पहले मुस्लिम संगठनों को विश्वास में ले, ताकि उसे अधिक से अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाया जा सकेंदूसरा पुरातत्व के नाम पर हमारी मस्जिदों के अपमान का मामला है, जिसकी तस्वीर आए दिन अख़बारों में आती रहती है और मुसलमानों की आत्मा को झिंझोड़ती रहती है। इन मस्जिदों के अपमान पर उस समय तक रोक नहीं लग सकती, जब तक उनमें पांचों समय नमाज़ की अनुमति न दी जाए। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से जमीअत उलमा-ए-हिन्द के प्लेटफार्म से यह मांग करते हैं कि वो मस्जिदों की पवित्रता की सुरक्षा के उद्देश्य से उनमें पांचों समय नमाज़ पढ़नें की अनुमति दें और पुरातत्व विभाग को यह निर्देश जारी करें कि वो पांचों समय नमाज़ पढ़ने को निश्चित बनाने के

लिए हर संभव क़दम उठाए। तीसरा वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी की योजना, जिसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के अधीन बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके नकारात्मक पहलूओं पर हमने शुरू ही में विस्तार से रौशनी डाल दी है कि यह एजेंसी किसी भी तौर पर हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, चाहे इसमें कितना भी संशोधन हमारी इच्छा के अनुसार क्यों न कर दिया जाए क्योंकि इससे उचित और महत्वपूर्ण योजना हमारे पास पहले से मौजूद है।''

आदरणीय अध्यक्ष ने कहाः-

''जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने हमेशा अपने कर्तव्यों के अनुसार वक़्फ़ संपत्ति में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और वक़्फ़ की सुरक्षा को निश्चित बनाने के लिए मज़बूत क़ानून बनाने पर ज़ोर दिया है। स्वतंत्रता के बाद जब देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, तो जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने नए निश्चय, हौसले और ठोस रणनीति के साथ वक़्फ़ की सुरक्षा के लिए बड़ा क़दम उठाया, चाहे वो अवैध क़ब्ज़ों से मुक्त कराने का मामला हो या फिर आय का अप्रासंगिक उपभोग में प्रयोग, हर समय जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए पूरी ताक़त के साथ सत्य की आवाज़ उठाई है। स्वतंत्रता सेनानी हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान ने जमीअत के प्लेटफार्म से वक़्फ़ परिषद के लिए जो महान सेवाएं दी हैं, वो आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखित हैं।

जमीअत उलमा-ए-उल्मा हिंद 2, 3, 4, दिसंबर 1927 को हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, सदरुल मुदर्रिसीन व शेख़ुल हदीस दारुल उलूम देवबंद की अध्यक्षता में पिशावर में आयोजित अपनी आठवें आम सभा, 18-19 अप्रैल 1934, पहली फरवरी 1948, 26-27 दिसंबर 1948 और 16, 17, 18 अप्रैल 1949 को कुतुबे आलम शेख़ुल इस्लमा हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेख़ुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसनी दारुल उलूम देवबंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित आम सभा में लगातार वक़्फ़ संपत्तियों की बर्बादी पर अपनी कड़ी चिंता व्यक्त करती रही है। यह जमीअत उलमा-ए-हिन्द के ही प्रयासों का परिणाम था कि 1923 के 'मुस्लमान एक्ट' की जगह आधिकारिक रूप से 'वक़्फ़ एक्ट 1954' पास हुआ। इय यमय वक़्फ़ एक्ट में सदस्यों की

नियुक्ति की धाराएं इस प्रकार हैंः-

(क) मस्लिम संसद सदस्य एवं विधानसभा के मुस्लिम सदस्य।

(ख) ऐसे मुसलमान व्यक्ति जो शरीअत के नियमों से अवगत हों और जमीअत उलमा-ए-हिन्द जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व करते हों, परन्तु विधि-निर्माण की प्रक्रिया हमेशा विकासशील रहती है जिसमें बदलते यमय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। जमीअत ने इस इस ऐक्ट की ख़ामियों के सुधार के लिए संघर्ष जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 1959, 1964 और 1969 में मामूल सुधार हुए, जो संतोषजनक नहीं थे। अंततः 1970 में एक जांच समिति का गठन किया गया। जमीअत उल्मा-ए-हिन्द की कार्य समिति ने 15-16 मई 1976 को सुधारों के सिलसिले में एक विस्तृत प्रस्ताव द्वारा सरकार को ध्यान दिलाया। उस समय हज़रत फिदाए मिल्लत (मौलाना असअद मदनी) राज्य सभा के सांसद और सैंट्रल वक़्फ़ परिषद के सदस्य थे। आपने उस समय जमीअत उलमा-ए-हिन्द के महासचिव की हैसियत से प्रधानमंत्री से भेंट की और मुसलमानों की चिंता और आशंका से सरकार को अवगत कराते हुए अपनी मांगें रखीं। इस संबंध में जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने 16, 17, 18 फ़रवरी 1979 को एक तीन दिवसीय अखिल भारतीय वक़्फ़ सम्मेलन अर्थशास्त्री प्रो. अली मुहम्मद ख़ुसरो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़ का आयोजन किया था, जिसमें पूरी दृढ़ता के साथ वक़्फ़ के मुद्दे को उठाया गया था और वक़्फ़ की दुर्दशा और मुतवल्लियों की अकुशलता के ख़िलाफ़ ठोस कार्य योजना तैयार करने पर ज़ोर दिया गया था। इसके बाद 14, 15, 16 जनवरी 1983 को बम्बई में आयोजित शेख़ुल इस्लाम के जानशीन फिदा-ए-मिल्लत हज़रत मौलाना अस्अद मदनी, अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने वक़्फ़ की गई संपत्तियों की दुर्दशा पर अपनी कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट द्वारा सरकार को ध्यान दिलाया कि वक़्फ़ की संपत्तियां वक़्फ़कर्ता की इच्छा के अनुसार प्रयोग नहीं हो रही हैं। इस सम्मेलन में वक़्फ़ एक्ट 1954 को असंतोषजनक क़रार देते हुए संशोधन की मांग सरकार के सामने प्रस्तुत की गई थी, लेकिन दुर्भागय से इस की

ओर 1984 के वक़्फ़ संशोधन एक्ट में पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आपात्ति होना स्वभाविक बात थी, जिसके निवारण के लिए फिर एक कमेटी की स्थापना की गई। 22 जुलाई 1984 को जमीअत उलमा-ए-हिन्द के निमंत्रण पर मुस्लिम सांसदों की एक मीटिंग हुई, जिसमें वक़्फ़ संशोधन बिल पर विचार किया गया और नौ सूत्री संशोधन पर आधारित एक अनुरोध क़ानून मंत्री और सैक्रेट्री राज्य सभा को भेज दिया गया लेकिन सरकार ने बिना किसी संशोधन के वक़्फ़ बिल प्रस्तुत कर दिया, जिसके ख़िलाफ़ जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने आपातकालिक रूप से 16 सितंबर 1984 को कार्यकारणी की मीटिंग बुलाई और सरकार के नकारात्मक व्यवहार पर दुःख प्रकट करते हुए संगठित आंदोलन चलाने पर ज़ोर दिया, जिसके कारण सरकार इच्छा के अनुसार बिल में संशोधन पर सहमत हो गई और संबंधित मंत्रालय से स्वीकृति भी मिल गई। अब केवल संस्द में बिल प्रस्तुत होना था लेकिन इसमें भी अनावश्यक विलम्ब होता जा रहा था, जिसके ख़िलाफ़ जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने फिर आंदोलन चलाया और शासकों को इस की ओर ध्यान दिलाया, अल्लाह का शुक्र है कि यह प्रयास रंग लाया और 1995 में संसद के दोनों सदनों में वक़्फ़ बिल प्रस्तुत किया गया, जिसे आज 'वक़्फ़ क़ानून 1995' कहा जाता है।''

वक़्फ़ की शरई हैसियत और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बयान करते हुए आदरणीय अध्यक्ष ने कहा कि वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी पर बातचीत करने से पहले हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत के अनुसार धार्मिक, कल्याणकारी या दान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल-अचल संपत्तियों के स्थाई दान का नाम 'वक़्फ़' है, जो एक बार स्थापित होने के बाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। एक बार वक़्फ़ कर देने के बाद वक़्फ़कर्ता वक़्फ़ की गई संपत्ति मालिक नहीं रहता, बल्कि वो संपत्ति अल्लाह के स्वामित्व में चली जाती है। इस्लाम के आरांभिक काल में चाहे नियमित रूप से किसी वक़्फ़ का सबूत नहीं मिलता, अपितु 'हिजरत' (मक्का से पलायन) के बाद सबसे पहले जो धार्मिक वक़्फ़ स्थापित किया गया था, वह 'मस्जिद-ए-क़बा' थी, दूसरा वक़्फ़ 'मस्जिद-ए-नबवी' है, जिसका पवित्र मदीना में पलायन के पहले वर्ष में निर्माण किया गया था। इसके बाद इस्लामी शासन का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, वक़्फ़

का कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ता रहां मध्य युग में धार्मिक वक़्फ़ और अन्य संस्थाएं नियमित रूप से लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट माध्यम के तौर पर प्रयोग होते थे। भारत में मुस्लिम शासकों ने दान के रूप में बड़ी संख्या में ज़मीनें दीं, और लगभग आठ सौ वर्ष से आज तक मुस्लिम समाज में यह कार्य जारी है। ब्रटिश शासन काल में वक़्फ़ संपत्ति की कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती। 1920 के बाद विभिन्न राज्य एवं केंद्र के क़ानून का मुसव्वदा तैयार हुआ और वक़्फ़ संपत्तियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के नियम शुरू हुए लेकिन लचर क़ानून, प्रशासन की कमी, राजनीतिज्ञों का निष्ठाहीन व्यवहार, मुस्लिम समाज की अरूचि और मुतवल्लियों की उदासीनता और कभी-कभी बेईमानी ने वक़्फ़ संपत्तियों को लगातार हानि पहुंचाई। जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक इन सभी समस्याओं को सदैव अपने ध्यान का केंद्र बनाया। शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी (अल्लाह उनकी क़ब्र को प्रकाशमान करे) ने अप्रैल 1951 में आयोजित हैदराबाद की सभा में वक़्फ़ की समस्याओं का विवरण देते हुए कहा थाः-

> ''वक़्फ़ धार्मिक रूप से सदैव सम्मानित रहा है, यह वक़्फ़कर्ता के पवित्र अवशेष कार्य होता है, जिसके द्वारा ज़रूरतमंदों को दीधर्कालिक लाभ और वक़्फ़कर्ता को हमेशा पुण्य मिलता है। वर्तमान में मुसलमानों की आर्थिक कठिनाइयों और आवश्यकताओं को देखते हुए वक़्फ़ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मस्जिद और अन्य इबादत गाहों, ख़ानक़ाहों, क़ब्रिस्तानों अथवा धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक ज़रूरतें, शिक्षण छात्रवृत्तियों, अनाथों और विधवा महिलाओं की देखभाल और इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और मुसलमानों की ज़रूरतों को उनके द्वारा पूरा किया जा सकता है, मगर अफसोस कि समय के उलटफेर ने इनको समाप्त कर दिया है।''

जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने सदैव वक़्फ़ संपत्ति की सुरक्षा को निश्चित बनाने के लिए प्रभावी क़दम उठाए हैं, और आज भी हम इस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत के मुसलमान हर उस योजना को असफल बनादेंगे, जो वक़्फ़ की गई संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी न देता हो और जिसका प्रयोग वक़्फ़कर्ता की इच्छा के विरूद्ध हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के अंतर्गत एक सहायक कंपनी की तरह वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की सरकारी योजना किसी भी तरह हमारे लिए स्वीकार योग्य नहीं है। इस सिलसिले में हमें प्रस्तावित एजेंसी

के आरंभिक ढांचे को समझना और सरकार की नीयत को जानना होगा।

केंद्रीय अलसंख्यक कार्य मंत्रालय के व्यवहार पर आलोचना करते हुए आदरणीय अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया यह मंत्रालय लाभकारी कम और हानिकारक अधिक बनता जा रहा है। वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी का शोशा उसी ने छोड़ा है। इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए कहाः-

''वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी' का मूल विचार वास्तव में उस श्रंखला की एक कड़ी है जिसे केंद्रीय वक़्फ़ परिषद ने गत 24 मई 2006 को अपने पचासवीं सभा में एक नोट में प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि वक़्फ़ की संपत्तियों के विकास के लिए सरकार एक रीवालविंग कारपस फण्ड के द्वारा राष्ट्रीय वक़्फ़ विकास निगम स्थापित करे, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत लाभ कमाने वाली पंजीकृत कंपनी हो। केंद्रीय सैंट्रल वक़्फ़ परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार के पास भेज दिया, जिसका आरंभिक खाका इस प्रकार था कि कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का होगा और 49 प्रतिशत हिस्सा वक़्फ़ बोर्ड, केंद्रीय वक़्फ़ परिषद और अहम मुस्लिम संस्थओं को बेच दिए जाऐंगे। इस ख़ाके में ग्रामीण संपत्तियों के विकास की भी विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई और यह कहा गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के लाखों अवसर पैदा होंगे और लाभ का बड़ा हिस्सा विधवाओं, अनाथों और ग़रीबों पर ख़र्च किया जाएगा। परिषद की इस योजना का समर्थन सच्चर कमेटी और संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्टों में किया। सरकार ने इन दोनों समितियों की सिफ़ारिशों को स्वीकार करके इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया। इसी बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (NMDFC) को पुनःसंगठित किया गया। विशेषज्ञों की समिति ने यह सिफ़ारिश कर दी कि एक सहायक कंपनी 'वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी' के नाम से बनाई जाए, जिसमें सरकार के हिस्से केवल 26 प्रतिशत होंगे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम उसकी आंशिक संस्था बन कर काम करेगा। इस योजना का विवरण जब सामने आया तो हमने यह प्रश्न उठाया कि परिषद ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें और इस नई योजना में क्या अंतर है और वक़्फ़ की आय केवल मुसलमानों के लिए होती है, जब कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम सभी अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है, तो वक़्फ़ की आय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के खाते में कैसे दर्ज होगी? वित्तीय निगम की विशेषज्ञों की कमेटी ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर

जाकर इस प्रकार की सिफ़ारिश क्यों की है? इन प्रश्नों के उत्तर आज तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास नहीं है। विडंबना तो यह है कि इस मामले को केंद्रीय मंत्रीमण्डल में ले जाकर सैद्धांतिक स्वीकृति ले ली गई और धार्मिक संस्थाओं से वक़्फ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई संपर्क नहीं किया गया।

12 अप्रैल 2010 को वक़्फ़ परिषद के तीन अहम सदस्यों ने एक संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यू.पी.ए. की अध्यक्ष आदरणीया श्रीमती सोनीया गांधी और कैबिनेट सचिव को लिखा, जिसमें इस ख़तरे को चिन्हित किया गया और मुसलमानों की चिंता से अवगत किया गया लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक कार्य के माननीय मंत्री वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना पर अड़े हैं और इस विषय में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आख़िर क्यों? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुसलमानों को विवरण उपलब्ध कराने से क्यों बच रही है, आख़िर वो क्या चीज़ है, जिसे यह मंत्रालय मुसलमानों से छिपाना चाहती है? इस एजेंसी में वो क्या ख़ास बात है, जिसके लिए मुसलमानों की चिंता की परवाह नहीं की जा रही है। आख़िर कुछ तो है जिसकी पर्दा-दारी है।

देश के विभिन्न राज्यों में वक़्फ़ संपत्तियों की बुरी स्थिति का चित्र खींचते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में आदरणीय अध्यक्ष ने आगे कहाः-

> ''भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी वक़्फ़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 1942 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की स्थापना हुई, जिसके अधिकार बहुत कम थे। जमीअत उलमा-ए-हिन्द के प्रयासों के नतीजे में 1960 में नए व्यापक एक्ट ने जगह ली, जिससे बोर्ड को और अधिक अधिकार प्राप्त हुए। 1942 में उत्तर प्रदेश की कुल वक़्फ़ संपत्तियों की संख्या केवल छः हज़ार थी, जो 1988 तक की रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 16 हज़ार से अधिक हो गइ। जब कि उत्तर प्रदेश वक़्फ़ कमिशनर द्वारा किए गए सर्वे के दौरान हज़ारों वक़्फ़ के बारे में भी खुलासे हुए हैं। उस समय यूपी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा सभी संपत्तियों को कंप्यूटराईज़्ड करने का काम चल रहा है। केवल राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तो वहां वक़्फ़ संपत्तियों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका मूल्य अरबों रुपये तक पहुंच जाता है। अधिकतर सरकारी निमार्ण जैसे राज भवन, मल्टी स्टोरी जवाहर भवन, इंदिरा भवन, आकाश दीप, चार बाग़ रेलवे स्टेशन, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सरकारी अधिकारियों

के निवास स्थान वास्तव में वक़्फ़ संपत्ति पर निर्मित हैं, जिनको वापस लेने के लिए योजनाबद्ध संघर्ष और स्थाई आंदोलन की आवश्यकता है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम निःस्वार्थ भाव से प्रयास करें, तो वह अवश्य वापस मिलेंगी। जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश ने रेंट कंट्रोल एक्ट समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने उस समय के शहरी विकास मंत्री आज़म ख़ां से मुलाक़ात करके वक़्फ़ संपत्तियों की दुर्दशासे उन्हें अवगत किया, जिसके नतीजे में रेंट कंट्रोल एक्ट समाप्त करके नए क़ानून को विधान सभा से स्वीकार कराया गया, इसके बाद संपत्तियां 200 रुपये आय की थीं, उनसे आज 20 हज़ार से लेकर एक लाख तक आय की हो रही है, जब कि सिविल क़ानून यह था कि जब कोई किराया बढ़ाने के लिए अदालत जाता था तो अधिक से अधिक ढाई प्रतिशत किराया बढ़ाया जा सकता था लेकिन अब बाज़ार के मूल्य के अुनसार किराया निर्धारित हो गया है, परन्तु मुतवल्ली लोग आज भी इसका लाभ नहीं उठा पारहे हैं। दुख की बात तो यह है कि कुछ लालची ऐसे मुतवल्ली भी सामने आए हैं, जो वक़्फ़ की महत्वपूर्ण संपत्तियों को बेच चुके हैं, यह लोग वक़्फ़कर्ता की इच्छा की अनदेखी करके ट्रस्टों की आय बढ़ाने के लिए कमर्शियल कम्पलेक्स और दुकानें बनवा देते हैं।''

वक़्फ़ संपत्तियों की तबाही व बर्बादी के लिए मुस्लिम समाज और केन्द्र एवं राज्य सरकारों को समान ज़िम्मेदार ठहराते हुए आदरणीय अध्यक्ष ने देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण दिया, ''अगर हम मिसाल में केवल दिल्ली वक़्फ़ संपत्तियों ही की समीक्षा करें तो दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड अरबों बल्कि खरबों की संपत्तिों का क़ानूनी तौर पर मालिक है लेकिन विडंबना यह है कि सरकारी ग्रांट के बिना यह बोर्ड अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पारहा है। इसके पास आय का माध्यम केवल संपत्तियों का किराया है और कुछ पर बोर्ड ने होर्डिंग आदि लगवाकर आय का स्रोत निकाला है, जिससे बोर्ड को आर्थिक शक्ति मिली है, मगर फिर भी अपर्याप्त है। दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की बुरी स्थिति के पेछे कई चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो हड़पनें वालों के क़ब्ज़े से संपत्ति को छुड़ाना, दूसरे प्रशासन की यथार्थता और तीसरे किराया पर पुनर्विचार, अगर यह चीज़ें ठीक कर ली जाएं, तो वक़्फ़ बोर्ड की आय में सौ गुना से भी अधि

ाक बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन तत्काल रूप से हमें उसकी संभावना नहीं दिख रही है। जमीअत उलमा-ए-हिन्द के लगातार चिंतन और प्रयासों के कारण हमेशा दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का एक सदस्य जमीअत का हुआ करता था, लेकिन अफसोस यह है कि भाजपा जब सत्ता में आई, तो इस परंपरा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड में जमीअत का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया।

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की सबसे बड़ा विडंबना यह है कि यहां की संपत्ति बहुत कम किराए पर लगी है, जिसका अगर उचित किराया प्राप्त किया जाए, तो इसकी आय से मुसलमानों की अधिकतर समस्याओं का समाधान हो सकता है। सूचना का अधिकार क़ानून के अंतर्गत जब दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से केवल उन संपत्तियों की सूची प्राप्त की गई, जिनका किराया प्रति महीना एक रुपया से ग्यारह रुपये के बीच है, तो ऐसी 86 संपत्तियों सामने आईं। अगर इन संपत्तियों से उचित किराया प्राप्त किया जाए, तो वार्षिक आय सौ करोड़ तक पहुंच सकती है।

लेकिन दिल्ली की अधिकतर वक़्फ़ संपत्तियां तो ऐसी हैं, जिन पर अब हमारा क़ब्ज़ा भी नहीं है और निकट भविष्य में उनकी वापसी की कोई सूरत भी नज़र नहीं आरही है। इस समय राजधानी दिल्ली में वक़्फ़ संपत्तियां वहां हैं, जहां हमारे महामहिम राष्ट्रपति का निवास है, मंत्रियों और सांसदों के घर एवं कार्यालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट स्थित है, पुरातत्व विभाग और नेशनल म्यूज़ीयम है, ओबरॉय होटल और गोल्फ़ क्लब है, दिल्ली के प्रसिद्ध स्कूल और शिक्षण संस्थाएं हैं। यह सब वो वक़्फ़ संपत्तियां हैं, जिनके कागज़ात में संशोधन करके सरकार की ओर से लूटखसूट का बाज़ार गर्म किया गया है। बहुत सी संपत्तियां तो ऐसी हैं, जिनकी क़ानूने दस्तावेज़ वक़्फ़ बोर्ड के पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रप्ति के लिए बोर्ड को अदालतों का चक्कर काटना पड़ता है। इस समय बोर्ड के पास लगभग 1977 संपत्तियां हैं, जिनमें 123 संपत्तियों पर विश्व हिन्दू परिषद् ने कोर्ट में मुक़दमा दायर कर रखा था, जिसे अब पिछले दिनों अदालत ने रद्द कर दिया है। इस समय दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की कुल आय केवल पौने दो करोड़ रुपये है, जब कि ख़र्च तीन करोड़ रुपये तक पहुंच जाते हैं।

अन्य राज्यों में वक़्फ़ की चिंताजनक स्थिति से अवगत कराते हुए आदरणीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहाः-

''जिन राज्यों में वक़्फ़ संपत्तियां बहुत अधिक हैं, उनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है लेकिन वहां की वक़्फ़ संपत्तियों की कहानी भी

कम दुखद नहीं है। इस महत्वपूर्ण राज्य में दयालू और शुभचिंतक मुसलमानों ने अरबों रुपये की संपत्तियां मुसलमानों के कल्याण के लिए वक़्फ़ की थीं, यही कारण है कि लगभग सभी सरकारों में इसकी देखभाल के लिए विभाग हुआ करते थे। निज़ाम के समय में 'उमूर-ए-मज़हबी' के नाम से धार्मिक कार्य की देखरेख होती थी। राज प्रमुख ने वक़्फ़ कार्य के लिए आधिकारिक रूप से एक मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड स्थापित किया था। पहली अप्रैल 1955 को राज्य में वक़्फ़ एक्ट लागू हुआ और एक आई.ए.एस. वक़्फ़ कमिशनर को आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार की वक़्फ़ संस्थओं की पहचान और सर्वे की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिसके नतीजे में लगभग 35 हज़ार सात सौ तीन वक़्फ़ संस्थओं की पहचान हुई। 1958 से 1965 तक किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में तीन हज़ार छः सौ 32 मस्जिदें, एक हज़ार छः सौ 90 दरगाहें, 11 हज़ार तीन सौ 73 इमाम बाड़े, सात हज़ार तीन सौ 80 चिल्ले, आठ हज़ार 371 क़ब्रिस्तान, 11 सौ 22 ईदगाहें और एक हज़ार सात सौ 76 अन्य संस्थाएं उल्लेखित किए गए थे, जिनके पास एक लाख 33 हज़ार दो सौ 90 एकड़ वक़्फ़ भूमि चिन्हित की गई थी लेकिन पिछले पाँच दशकों में लगभग 55 हज़ार एकड़ वक़्फ़ भूमि पर क़ब्ज़े की बात सामने आई है। 60 प्रतिशत हैदराबाद में और 55 प्रतिशत रंगारेड्डी में वक़्फ़ भूमि अब बोर्ड के पास नहीं रही। इस समय एक हज़ार एकड़ से अधिक वक़्फ़ भूमि पर इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन का क़ब्ज़ा है, माइक्रोसाफ़्ट के पास लगभग 17 एकड़ से अधिक वक़्फ़ भूमि है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनीवर्सिटी ने दो सौ एकड़ वक़्फ़ भूमि ले रखी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वक़्फ़ की 584 एकड़ भूमि है। इतनी अमूल्यवान भूमि होते हुए वहां के वक़्फ़ बोर्ड की विडंबना यह है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकारी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। लगभग यही स्थिति देश के अधिकतर राज्यों की है। पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले एक केंद्रीय मंत्री बताते हैं कि ''बंगाल राज्य में वक़्फ़ संपत्तियों में हुए भ्रष्टाचार का मूल्य एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।'' एक बार नियायिक जांच का आदेश भी दिया गया, जिसकी रिपोर्ट में

कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही गई, लेकिन दुर्भागय से वक़्फ़ संपत्तियों की पुनःप्राप्ति नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन वक़्फ़ संपत्तियों की कमी नहीं है लेकिन इस राज्य की स्थिति यह है कि जिस समय मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड की स्थापना हुई उस समय भोपाल शहर में वक़्फ़ क़ब्रिस्तानों की संख्या 187 थी, जो अब घट कर केवल 23 रह गई है। लगभग ऐसी ही स्थिति राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड की है, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन हर जगह अवैध क़ब्ज़े के कारण बोर्ड की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।''

पुरातत्व विभाग के अंतर्गत मस्जिदों के अपमान के मुद्दे पर विस्तार से रोशनी डालते हुए अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बहुत दुख के साथ कहा किः-

''आज सबसे अधिक दुखद स्थिति उन मस्जिदों की है, जिन पर पुरातत्व विभाग का कंट्रोल है। केवल दिल्ली में लगभग पौने दोसौ ऐसी मस्जिदें हैं, जो 'अल्लाहु अकबर' की आवाज़ से वंचित हो कर अपनी वीरानी और मुसलमानों की तबाही व बर्बादी का प्रतीक बनी हुई हैं। आज यह मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए ख़ास कर दी गई हैं, जिसके कारण उनकी पवित्रता खण्डित हो रही है, नौजवान लड़के उन मस्जिदों को अश्लीलता का अड्डा बनाकर अल्लाह के क्रोध को ललकार रहे हैं। चिड़िया घर के सामने मस्जिद खैरुल मनाज़िल मुसलमानों की अतीत की महानता की प्रतीक बन कर हमें विचार का निमंत्रण दे रही है। पुराना क़िला के अंदर की भव्य मस्जिद की दुखद स्थिति आपके सामने है। लोधी गार्डन की मस्जिदों में क्या हो रहा है, यह आप से छिपा नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार मस्जिद की महानता और पवित्रता से अवगत नहीं है, इसके बावजूद किसी मस्जिद में फ़िल्म की शूटिंग के लिए नाच-गाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं नवयुवक जोड़े रंग-रलियाँ मना रहे हैं, किसी मस्जिद में योगा के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं जुआ और सट्टे की घटनाएं सामने आ रही हैं। अल्लाह के घर का ऐसा अपमान शायद पूरे संसार में कहीं और नहीं हो रहा होगा। साऊथ एक्सटेंशन की मोठ मस्जिद बहुत भव्य है, जो दिल्ली

वक़्फ़ बोर्ड के अंतर्गत है, हाईकोर्ट ने लगभग 20 वर्ष पहले इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का भी आदेश जारी कर दिया था, इसके बावजूद आज तक इसमें न तो इमाम की नियुक्ति हो सकी है और न ही नमाज़ की व्यवस्था की जा सकी है, इसे वक़्फ़ बोर्ड की उदासीनता और मुसलमानों के दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। आख़िर हम कब तक वक़्फ़ संपत्तियों के संबंध में ऐसी लापरवाही के शिकार रहेंगे? ज़रूरत इस बात की है कि इन मस्जिदों की पवित्रता की सुरक्षा के लिए हम मैदान में आएं और उनको आबाद करने के लिए ठोस योजना तैयार करें। जमीअत उलमा-ए-हिन्द दिल्ली में मौजूद पुरातत्व की मस्जिदों के संदर्भ में हमेशा चिंतित रही है और अब नई रणनीति के साथ नियमित आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है क्योंकि मस्जिदों की पवित्रता हमारा धार्मिक कर्तव्य है, जो क़ुरआन व हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अपमान को दुनिया की बर्बादी और आसमानी विपत्ति का परिणाम है।''

आगे बढ़ने से पहले यहां वक़्फ़ संशोधन बिल की एक तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा। मुसलमानों की समाजी, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी थी। यह कमेटी सच्चर कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। उसने वक़्फ़ के सुधार के संबंध में कई सुझाव दिए। इसी तरह 2006 में नियुक्त की गई वक़्फ़ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) ने भी अहम सुझाव दिए हैं जिसने अपनी रिपोर्ट फ़रवरी 2008 में प्रस्तुत कर दी थी। याद रहे कि सच्चर कमेटी के सुझाव पर (1) केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (2) अन्य संबंधित मंत्रालयों और (3) उनकी संयुक्त समितियों के सुझाव के आधार पर ही केंद्रीय मंत्रीमण्डल में नोट तैयार हुआ।

वक़्फ़ संशोधन बिल 2011 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से दिए गए सुझाव और इसकी तुलनात्मक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैंः-

(क) वक़्फ़ संशोधन बिल 2011 में कुछ अच्छे संशोधन शामिल हैं, जैसेः-

(1) वक़्फ़ सर्वे का ख़र्च राज्य सरकारें उठाएंगी।

(2) जिन राज्यों में वक़्फ़ बोर्ड नहीं हैं वहां एक वर्ष के अंदर ही वक़्फ़ बोर्ड

स्थापित किए जाएंगे।

(3) कोई मंत्री वक़्फ़ बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(4) वक़्फ़ संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करने वालों के लिए कठोर कारावास।

(5) वक़्फ़ ट्रिब्यूनल तीन सदस्यीय होगा।

(ख) इस व्यवस्था के बावजूद सच्चर कमेटी और संयुक्त संसदीय समिति की विभिन्न महत्वपूण सुझाव या तो इस बिल में शामिल ही नहीं किए गए या उन्हें आंशिक रूप से शामिल किया गयांदेखें निम्नलिखित बिंदुः-

(1) संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) ने वक़्फ़ सर्वे को अनिवार्य करने का सुझाव दिया था लेकिन बिल में उसे वैकल्पिक (सम्यक दृष्टि से) रखा गया है।

(2) वक़्फ़ से संबंधित, स्वतंत्रता के बाद के सभी मामलों को सर्वे में शामिल करने की जे.पी.सी. के सुझाव छोड़ दिया गया है।

(3) जे.पी.सी. के इस सुझाव को कि ''वक़्फ़ सर्वे कमिशनर के नोटीफिकेशन को नए रिकार्ड और स्वामित्व के निर्धारण के लिए उदाहरण (Mutation) माना जाए'' को छोड़ दिया गया।

(4) सच्चर कमेटी की सिफ़ारिश कि ''सैंट्रल वक़्फ़ काजे.पी.सी. सल का अध्यक्ष (पद के अनुसार संबंधित मंत्री के बजाय, क्योंकि वो अन्य गतिविधियों में घिरे होते हैं) कोई आज़ाद व्यक्ति होना चाहिए'', को भी बिल में शामिल नहीं किया गया है।

(5) सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि ''सैंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव का पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान होना चाहिए ताकि सरकारी पदाधिकारियों के साथ सार्थक और प्रभावी संपर्क एवं वार्ता की जासके। अभी इस पद के लिए कोई योग्यता नियुक्त नहीं है, हालाँकि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड के चीफ एग्ज़िकेवटिव ऑफीसर (सी.ई.ओ.) के पद की श्रेणी निर्धारित है (जिसे कर्मचारियों में सैंट्रल वक़्फ़ परिषद् के सचिव से बहुत जूनियर माना गया है) परन्तु इस अति महत्वपूर्ण सुझाव को भी बिल में स्थान नहीं मिला है।

(6) स्टेट बार काउंसिल के किसी मुस्लिम सदस्य को स्टेट वक़्फ़ बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, बार काउंसिल में कोई मुस्लिम सदस्य न होने की स्थिति में सरकार क़ानून की जानकारी और अनुभव रखने वाले राज्य के किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकती है, और इस स्थिति में

उसके मुस्लिम होने की शर्त नहीं है। इसलिए बिल में यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि उपरोक्त सदस्य मुसलमान ही हो।

(7) स्टेट वक़्फ़ बोर्ड के सरकारी सदस्य का पद राज्य सरकार के डिप्टी सैक्रेट्री के समान रखा गया है, इस काम के लिए यह बहुत ही निम्न श्रेणी है। उसे राज्य सरकार के प्रिंसिपल सैक्रेट्री की श्रेणी का होना चाहिए। इस श्रेणी का मुस्लिम अधिकारी मौजूद न होने की स्थिति में राज्य में सब से वरिष्ठ पद पर मौजूद मुस्लिम अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए।

(8) स्टेट वक़्फ़ बोर्डों में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है, जबकि इसे बाक़ी रखने की आवश्यकता है।

(9) एम.पी., एम.एल.ए., वकीलों और मुतवल्लियों के प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया है।

(10) स्टेट वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. की श्रेणी जे.पी.सी. द्वारा सुझाव दी गई श्रेणी से कम रखी गई है। इस को

(11) सच्चर कमेटी ने अपनी जांच में इस बात का उल्लेख किया कि मुस्लिम अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. सामान्यतः अप्रशिक्षित, निचले स्तर के रिटायर्ड अफ़्सर या कभी ग़ैर-अफ़्सर भी होते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों में कोई विशेष स्थान नहीं रखते या किसी सरकारी अफ़्सर को अतिरिक्त प्रभार के साथ सी.ई.ओ. बना दिया जाता है। इसलिए सच्चर कमेटी ने एक नया केडर (जिसे इंडियन वक़्फ़ सर्विस कहा जा सकता है) स्थापित करने की पुरज़ोर सिफ़ारिश की थी। यह सिफ़ारिश भारत के संविधान के खाके से पूर्ण रूप से प्रासंगिक है, लेकिन इस अति प्रभावी सिफ़ारिश पर भारत सरकार किसी भी उच्च स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। एक छोटा और बिना सोचे-समझे नकारात्मक नोट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एक डिप्टी सैक्रेट्री ने उस पर लगाया और इस संबंध में सच्चर कमेटी के तर्कों की जांच किए बिना ही डिप्टी सैक्रेट्री के नकारात्मक नोट की पुष्टि ऊपर तक होती गई। इसलिए इस मामले को दुबारा खोले जाने और इस पर पुनर्विचार किए जाने और प्रधानमंत्री के स्तर पर सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की बहुत ज़रूरत है।

(12) एक नेशनल वक़्फ़ प्रापर्टीज़ बोर्ड बनाने और मुसलमानों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की जे.पी.सी. के सुझाव को भी अनदेखा कर दिया गया है।

(13) वक़्फ़ बोर्ड द्वारा वक़्फ़ संपत्तियों को पट्टे (Lease) पर दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के नियंत्रण को अनावश्यक रूप से बहुत सख़्त तररखा गया है। बिल में कहा गया है कि एक वर्ष से अधिक लीज़ पर देने की हर कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी जो इस पर 45 दिन के अंदर अपना निर्णय देगी। यह वक़्फ़ बोर्ड की स्वामित्व में अनावश्यक हस्तक्षेप और वक़्फ के दैनिक मामलों में अनुचित केंद्रीकरण स्थापित करना है।

(14) सच्चर कमेटी द्वारा सुझाए गए 'क़ाबिज़' (Encroacher) की परिभाषा को बेजान बना दिया गया है।

(15) वक़्फ़ संपत्ति पर बड़े स्तर पर क़ब्ज़ों की समस्याओं से निपटने के लिए जे. पी.सी. और सच्चर कमेटी ने (i) वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. को मजिस्ट्रेट का पावर देने, (ii) वक़्फ़ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति की तरह सुरक्षा देने (iii) सी.ई.ओ. को संपत्ति ख़ाली कराने का अधिकार देने (iv) क़ाबिज़ों (Encroachers) को सज़ा देने (v) क़ब्ज़ा न हटाने की स्थिति में सरकारी अफ़्सरों पर जुर्माना डालने, वक़्फ़ के किरायेदारों को 'पर्सन इंटरेस्टिड' (रुचि रखने वाले लोग) की परिभाषा में शामिल करने और 'वक़्फ़ प्रिमाइसेज़' की परिभाषा निर्धारित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी, परन्तु इनमें से कोई बात भी इस संशोधन बिल में शामिल नहीं है।

(16) सच्चर कमेटी ने वक़्फ़ बिल के अंतर्गत वक़्फ़ संपत्तियों को स्टेट रेंट कंट्रोल क़ानून से छूट की सिफ़ारिश की थी। अंतर-मंत्रालय समिति ने भी कहा था कि ऐसा होना चाहिए। जे.पी.सी. ने भी इस बात को दुहराया। फिर भी इस सुझाव को विश्वास के योग्य नहीं समझा गया।

(17) जे.पी.सी. ने वक़्फ़ ट्रिब्यूनल को कोई मामला निपटाने के लिए एक वर्ष का समय देने की सिफ़ारिश की थी। बिल में उसे छोड़ दिया गया।

(18) सच्चर कमेटी ने वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों को पूर्णकालिक (फुल टाइम) होने और किसी अन्य अतिरिक्त ज़िम्मेदारी से मुक्त होने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था लेकिन इसे भी बिल से अलग रखा गया है।

(19) वक़्फ़ संपत्तियों को अवैध उपयोग से सार्वजनिक संपत्तियों को ख़ाली कराने के क़ानून Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act के अंतर्गत लाने की सच्चर कमेटी और जे.पी.सी. के सुझाव को छोड़ दिया गया है।

(20) जे.पी.सी. ने भूमि अधिग्रहण (Acquire) के क़ानून में वक़्फ़ संपत्तियों के संदर्भ में शर्तें तय करने की सिफ़ारिश की थी। इस सिफ़ारिश को भी बिल में जगह नहीं मिली।

(21) जे.पी.सी. ने वक़्फ़ क़ानून और इससे संबंधित नियमों को राज्य के कर संग्रहन क़ानून और अन्य सभी आदेशों से ऊपर रखने के लिए वक़्फ़ क़ानून में उचित संशोधन करने की सिफ़ारिश की थी, उसे भी नहीं लिया गया।

संयुक्त संसदीय समिति ने फ़रवरी 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "(जे.पी.सी.) आशा करती है कि सरकार उसकी रिपोर्ट में दिए गए सुझाव को शब्द और उनकी आत्मा के साथ (जैसा है वैसा) स्वीकार कर लेगी।" दूसरी ओर 16 अप्रैल 2011 को वक़्फ़ संशोधन बिल प्रस्तुत करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने संस्द को यह नहीं बताया कि सच्चर कमेटी और जे.पी.सी. द्वारा दिए गए कौन से सुझाव बिल में शामिल नहीं किए गए हैं और क्यों नहीं किए गए हैं। इसी तरह इन्होंने यह भी नहीं बताया कि बिल में वो कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं जो न तो सच्चर कमेटी ने और न ही जे.पी.सी. ने सुझाव दिए थे।

इन गंभीर ख़ामियों और बड़ी ग़लतियों के साथ यह संशोधन बिल पास हो जाता जिसने वक़्फ़ की मूल अत्मा निकाल कर रख दी है, लेकिन जमीअत उलमा-ए-हिन्द और अन्य मुस्लिम संगठनों के समय पर हस्तक्षेप से यह क़ानून बनते बनते रह गया। यह बड़ी सार्थक बात है कि सरकार ने संसद के निचले सदन या लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए बड़ी चालाकी से एक ऐसे समय का चयन किया जब लगभग सभी मुस्लिम सांसद जुमा की नमाज़ के लिए संसद में मौजूद नहीं होते। संसद की प्रक्रिया के अनुसार किसी भी बिल का मुसव्वदा कुछ दिन पहले सांसदों में वितरित किया जाता है ताकि वो उसका अध्ययन कर के संसद में उस पर आपात्ति-बिंदु उठा सकें लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ठीक जुमा की नमाज़ के समय उसे लोकसभा में प्रस्तुत कर के पास करा लिया। इस पर जब सभी मुस्लिम सदस्य चौतरफ़ा विरोध करने लगे तो तो उसे ऊपरी सदन (राज्य सभा) में प्रस्तुत नहीं किया गया और इसकी ख़ामियां ठीक करने के लिए प्रो. सैफुद्दीन सोज़ की अगुवाई में राज्य सभा की एक चयन समिति के हवाले कर दिया गया जिसने इस बिल का मुसव्वदा प्रस्तुत कर दिया है लेकिन इसमें सच्चर कमेटी और जे.पी.सी. के केवल कुछ सुझावों को शामिल किया गया है, जबकि होना यह चाहिए कि सभी 20 सुझााव उसका हिस्सा बनें जो वक़्फ़ की बेहतरी के लिए हैं। अब यह मुसव्वदा राज्य सभा में स्वीकृति के

लिए प्रतीक्षा कर रहा है।

जमीअत उलमा-ए-हिन्द के अन्य सम्मेलनों की तरह अखिल भारतीय व़क्फ़ सुरक्षा सम्मेलन को भी अपार सफलता मिली और इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि उसने वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी का इरादा छोड़ दिया है। राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन और सांसद जनाब के. रहमान ख़ान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहाः-

> ''वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी नहीं बनेगी बल्कि वक़्फ़ डेवलपमेंट कारपोरेशन ही बनेगा, जो पूर्ण रूप से स्वायत होगा। जहां तक बात वक़्फ़ की सुरक्षा की है तो वक़्फ़ की सुरक्षा हर मुसलमान का पहला कर्तव्य है, केवल सरकार पर ही भरोसा करने से कुछ नहीं होगा।''

के.रहमान ख़ान ने कहा कि वक़्फ़ की निगरानी हर मुसलमान को अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर करनी होगी, क्यों कि जहां मुतवल्ली खुद क़ब्ज़े कर रहे हों वहां सरकार क्या करेगी। यह सोच कर बैठ जाना कि सरकार हमारे वक़्फ़ की सुरक्षा करेगी बहुत बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ क़ानून में संशोधन की आवश्यकता है और वक़्फ़ क़ानून 2010 अभी संशोधन के लिए चयन समिति के पास है, इसके लिए हम सबको सर्वसम्मति से सुझाव देने चाहिएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में वक़्फ़ के संबंध में भावना अधिक और जानकारी कम है, इसलिए जानकारी में भी वृद्धि करनी होगी।उन्होंने कहा कि अगर वक़्फ़ की व्यवस्था ठीक हो जाए और इसका उचित उपयोग हो तो मुसलमान अपना भविष्य खुद संवार सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि देश में वक़्फ़ की 60 प्रतिशत से अधिक भूमि पर तो क़ब्ज़े हो चुके हैं, ऐसे में उस 40 प्रतिशत संपत्ति को बचाने और उसका उचित प्रयोग करने का तो प्रयास कीजिए जो बाक़ी रह गई है।

बिहार के पूर्व वक़्फ़ मंत्री शकील अहमद ख़ान ने कहा कि वर्तमान वक़्फ़ बिल से वक़्फ़ की सुरक्षा में कोई सहायता नहीं मिलेगी। उन्होंने मांग की कि जिस तरह लोकपाल बिल तैयार करने के लिए संयुक्त ड्राफ्ट कमेटी कठित की गई है उसी तरह वक़्फ़ क़ानून बनाने के लिए भी संयुक्त ड्राफ्ट कमेटी गठित की जाए जिसमें शरीयत के विशेषज्ञों के साथ साथ क़ानून के विशेषज्ञ भी शामिल हों। उन्होंने बिना नाम लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि वक़्फ़ की आय का प्रयोग अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी किए जाने का सुझाव कदापि स्वीकारीय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों से मुसलमानों को ही हानि पहुंचेगी।

जमीअत की वर्किंग कमेटी के सदस्य हाजी सलामतुल्लाह ने वक़्फ़ क़ानून को नए सिरे से बनाने की मांग की और वक़्फ़ संपत्तियों पर अवैध क़ब्ज़ों को हटाने और पुरातत्व विभाग की मस्जिदें नमाज़ियों के लिए खोलने की मांग की।

लाल जान पाशा पूर्व चेयरमैन ऑल इंडिया वक़्फ़ बोर्ड, जनाब मौलाना फ़ज़्लुर्रहीम मुजद्ददी प्रतिनिधि हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना रफ़ीक़ अहमद क़ासमी सैक्रेट्री जमात-ए-इस्लामी हिंद, जनाब इलियास मलिक जनरल सैक्रेट्री मुस्लिम मजलिसे मुशावरत, जनाब शकील अहमद ख़ां साहब ऐडवोकेट पटना हाईकोर्ट, पूर्व चेयरमैन वक़्फ़ बोर्ड एवं पूर्व क़ानून मंत्री बिहार, हाफ़िज़ रशीद अहमद ऐडवोकेट गोहाटी हाईकोर्ट पूर्व चेयरमैन असम वक़्फ़ बोर्ड, मौलाना मुफ़्ती यूसुफ़ साहब हदीस के अध्यापक दारुलउलूम देवबंद, अनीस सुहरवर्दी ऐडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार प्रकट किए और अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द मौलाना अरशद मदनी की घोषणा कि ''मुसलमानों को वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी किसी क़ीमत पर स्वीकार नहीं'' की मांग का घोर समर्थन किया और जमीअत उलमा-ए-हिन्द को यह महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सभा बुलाने पर बधाई दी।

सम्मेलन के अंत में मौलाना सैयद असजद मदनी ने प्रस्ताव का मतन सुनाकर सम्मेलन से इसकी स्विकृति ली जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया जिसमें मांग की गई है किः-

(1) वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 को अंतिम रूप देने से पहले इस विषय में मुस्लिम संगठनों को विश्वास में लिया जाए ताकि वक़्फ़ के शरई आदेशों का पालन करते हुए उसे अधिक से अधिक वक़्फ़ के हित में प्रभावी एवं लाभकारी बनाया जा सके।

(2) वक़्फ़ को अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के अधीन लाने की योजना को छोड़ दिया जाए क्योंकि यह योजना किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

(3) अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय को बाध्य किया जाए कि वो जल्दबाज़ी में ऐसा क़दम न उठाए जिससे वक़्फ़ संपत्तियों की तबाही का क़ानूनी औचित्य प्राप्त हो जाए।

(4) यह सभा केंद्रीय वक़्फ़ परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 'नेशनल वक़्फ़ डेवलपमेंट कारपोरेशन' के नाम से कमेटी एक्ट के अंतर्गत कमेटी की स्थापना का समर्थन करता है जिसमें वापसी की शर्त पर सरकारी हिस्से 51 प्रतिशत और वक़्फ़ बोर्ड, केंद्रीय वक़्फ़ परिषद और मुस्लिम संस्थओं के 49 प्रतिशत हिस्से

होंगे, जिसके लाभ का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कल्याण पर ख़र्च किया जाएगा।

(5) मस्जिदों की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए सभी मस्जिदों में पाँचों वक़्त नमाज़ की अनुमति दी जाए और पुरातत्व विभाग को निर्देश जारी किया जाए कि वो पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने को सुनिश्चित करने के लिए संभावित क़दम उठाए।

(6) यह सभा मुसलमानों से भी अपील करती है कि वो वक़्फ़ जैसे हमेशा जारी रहने वाले दान को बाक़ी रखनी की अपनी शरई ज़िम्मेदारी को महसूस करें और वक़्फ़ की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। विशेष रूप से मुतवल्ली हज़रात वक़्फ़ के प्रति शरीअत के निर्देशों का पालन करते हुए वक़्फ़ के प्रति शरीअत के आदेश के पालन को अपने ऊपर लाज़िम समझें ताकि दुनिया और आख़िरत में सफलता प्राप्त हो।

(7) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का एक संयुक्त बोर्ड जो पूरे देश में एक बेहतर, सक्रिय और आदर्श बोर्ड था, बोर्ड द्वारा मुसलमानों के विकास और कल्याण कार्य किए जारहे थे, एन.डी.ए. सरकार ने अपनी विरोधी नीति पर कार्य करते हुए इस बोर्ड को चार हिस्सों में विभाजित कर दिया जिसके बाद व्यावहारिक रूप से वक़्फ़ बोर्ड मुसलमानों के लिए व्यर्थ हो कर रह गया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वक़्फ़ बोर्ड तो राजनीति का अखाड़ा बन गए, पंजाब वक़्फ़ बोर्ड करोड़ों की आय के बावजूद घाटे में पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वक़्फ़ बोर्ड और चंडीगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के पास आय के स्रोत न होने के बराबर हैं, परन्तु हरियाणा वक़्फ़ बोर्ड कुछ अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इसलिए वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित प्रयोग के लिए वर्तमान सरकार अपने अल्पसंख्यकों के प्रति हमदर्दी का प्रमाण देते हुए अतीत की भांति इन चारों राज्यों के वक़्फ़ बोर्ड को भंग करके संयुक्त बोर्ड बनाए ताकि यह बोर्ड अतीत की भांति एक मज़बूत और सक्रिय बोर्ड बन जाए और वक़्फ़ की आय को मुसलमानों के कल्याण कार्य और उनके विकास पर ख़र्च किया जासके।''

इस सम्मेलन को मीडीया में अपार सफलता मिली। उर्दू के अतिरिक्त हिन्दी, टंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं के अख़बारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडीया में उसे विशेष स्थान मिलादेश के सर्वाधिक प्रकाशित होने अख़बार दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' ने सुर्ख़ी लगाई : ''वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी किसी क़ीमत पर क़बूल नहीं:

मौलाना अरशद, ज़िम्नी सुर्ख़ी : ''मुस्लमान औक़ाफ़ की 40 फ़ीसद बाक़ी बची जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यक़ीनी बनाए : के.रहमान खान, डिप्टी चेयरमैन राज्य सभा''। मुम्बई के सर्वाधिक छपने वाले दैनिक 'उर्दू टाईम्स' ने भी कुछ इसी प्रकार की सुर्ख़ी लगाई कि, ''अक़ल्लीयती उमूर की वज़ारत को अपनी ज़िद से बाज़ आ जाना चाहिए, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो वक़्फ़ इमलाक की तबाही की क़ानूनी राह हमवार कर दे : मौलाना अरशद मदनी।'' अर्थात उर्दू के हर छोटे बड़े अख़बार ने सम्मेलन की ख़बर बड़े पैमाने पर और स्पष्ट रूप से प्रकाशित की।

आदरणीय अध्यक्ष ने सम्मेलन में पारित प्रस्तावों पर आधारित एक पत्र भी प्रधानमंत्री को भेजा था जिसमें सच्चर कमेटी और जे.पी.सी. की सिफ़ारिशों का हवाला दिया गयाः-

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री, नई दिल्ली

आदाब

इस से पहले वक़्फ़ से संबंधित जमीअत उलमा-ए-हिन्द द्वारा 22 मई 2011 को आयोजित अखिल भारतीय वक़्फ़ सुरक्षा सम्मेलन के प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजे जाचुके हैं। अथवा 13 जून 2011 की मुलाक़ात में मौखिक रूप से वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 के प्रति कुछ अनुरोध किए थे।

इस पत्र के द्वारा वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 की एक ख़ामी की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वह यह है कि जिस वक़्फ़ के प्रबंधन का सिलसिला टूट गया है उनकी आय को 'कम्यूनिटी' के कल्याण पर ख़र्च किया जाएगा। 'कम्यूनिटी' के स्थान पर 'मुस्लिम कम्यूनिटी ऑफ इंडिया' लिखा जाए। दूसरी स्थिति में 'कम्यूनिटी' के अंतर्गत भारत का हर वर्ग वक़्फ़ से लाभ उठाने का दावेदार बन जाएगा।

सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें और संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव भी महोदय के विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सच्चर कमेटी की चंद सिफ़ारिशें यह हैंः-

(1) सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि वक़्फ़ में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप का रास्ता बंद किया जाए और वक़्फ़ के ज़िम्मेदारों को जायज़ अधिकार दिया जाए, लेकिन वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 में इसका कोई उल्लेख नहीं।

(2) सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि सैंट्रल वक़्फ़ काउंसिल (CWC) का

चेयरमैन मंत्री की बजाय कोई और विशिष्ट व्यक्ति हो ताकि वक़्फ़ के काम समय पर हो सकें लेकिन इस सिफ़ारिश को रद्द कर दिया गया।

(3) सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि सी.डब्लयू.सी. का सैक्रेट्री कम से कम भारत सरकार के जवाइंट सैक्रेट्री के स्तर का अफ़्सर हो लेकिन इस सिफ़ारिश का भी वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 में कोई उल्लेख नहीं।

(4) सच्चर कमेटी ने कहा कि चूंकि देश में मुस्लिम अफ़्सरों का अनुपात केवल 2.5 प्रतिशत है इसलिए वक़्फ़ बोर्डों के सी.ई.ओ. के पद के लिए इंडियन वक़्फ़ सर्विस शुरू की जाए। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा था कि सी.ई.ओ. कोई सीनीयर अफ़्सर होना चाहिए।

(5) सच्चर कमेटी ने इंडियन वक़्फ़ सर्विस स्थपित करने की सिफ़ारिश की थी लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एक बहुत जूनीयर अफ़्सर ने यह लिख कर रद्द कर दिया कि यह स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद सभी बड़े अफ़्सरों, मंत्रियों की काउंसिल और प्रधानमंत्री तक सबने इस पर मुहर लगा दी और किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि यह सुझाव क्यों संभव नहीं है। सच्चर कमेटी की इस सिफ़ारिश पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और एक जूनीयर अफ़्सर के लिखे हुए अनुचित और अप्रयाप्त नोट को क़ानून समझ लिया गया।

(6) इसी तरह सच्चर कमेटी ने वक़्फ़ बोर्डों के कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण देने के लिए 'नेशनल वक़्फ़ अकेडमी' के गठन की सिफ़ारिश की थी, उस को भी अनदेखा कर दिया गया।

(7) सच्चर कमेटी ने कहा था कि उन शिक्षण संस्थओं और अस्पतालों को जो वक़्फ़ के नियमों को पूरा करते हों और इस्लामी शरीयत के अनुसार कार्य करते हों वक़्फ़ की संपत्ति तीन वर्ष की बजाय 30 वर्ष के लिए लीज़ पर दी जाए, लेकिन वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 में इस बिंदु को हटा दिया गया अर्थात वक़्फ़ की संपत्ति किसी भी संस्था को चाहे वह वक़्फ़ के नियमों को पूरा करे या न करे और चाहे वो इस्लामी शरीयत के अनुसार कार्य करे या न करे, दी जा सकती है।

(8) सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक़्फ़ की व्याख्या के साथ-साथ वक़्फ़ पर क़ब्ज़ों की भी व्याख्या को और विस्तार देने की आवश्यकता है लेकिन इस सिफ़ारिश को भी अनदेखा कर दिया गया।

(9) सच्चर कमेटी ने वक़्फ़ को रेंट कंट्रोल एक्ट से अलग करने के लिए वक़्फ़

क़ानून में ही संशोधन करने की सिफ़ारिश की जिसकी बाद में अंतर-मंत्रालय परिषद ने भी समर्थन किया लेकिन इस को भी अनदेखा कर दिया गया।

(10) सच्चर कमेटी ने पुरातत्व विभाग (ए.एस.आई.) के अधीन आने वाली वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए सैंट्रल वक़्फ़ काउंसिल और ए.एस. आई. के प्रतिनिधि अधिकारियों पर आधारित एक कमेटी के गठन की बात कही थी ताकि यह कमेटी हर तीन महीने में मीटिंग करके मामले को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सके। इस प्रस्ताव में यह शामिल था कि जो संपत्तियां ए. एस.आई. के अधीन हैं उन पर विचार किया जाए कि उनमें से कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जो वक़्फ़ बोर्ड को वापस की जा सकती हैं। इस सुझाव को भी रद्द कर दिया गया।

संयुक्त संसदीय समिति के कुद सुझाव यह हैः-

(1) संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) ने सिफ़ारिश की थी कि वक़्फ़ संपत्तियों का अनिवार्य सर्वे किया जाए लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक़्फ़ संशोधन बिल 2010 में इस सिफ़ारिश को अनदेखा कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया।

(2) संयुक्त संसदीय समिति ने कहा था कि सर्वे 15 अगस्त 1947 से मौजूद वक़्फ़ के अनुसार किया जाए, लेकिन उसे भी छोड़ दिया गया।

(3) संयुक्त संसदीय समिति ने कहा था कि जब सर्वे के बाद नोटीफिकेशन जारी हो जाए तो फिर उसके परिवर्तन (Mutaion) की आवश्यकता नहीं क्यों कि इस कार्य में बहुत समय लगता है। इस सिफ़ारिश को भी रद्द कर दिया गया।

(4) संयुक्त संसदीय समिति ने कहा था कि सी.ई.ओ. का स्तर राज्य के डायरेक्टर के समान होना चाहिए ताकि उसे सरकार में बैठे अफ़्सरों से काम कराने में आसानी हो, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस सिफ़ारिश की भी अनदेखी कर दी।

(5) संयुक्त संसदीय समिति ने कहा था कि अवैध क़ब्ज़ों को ख़ाली कराने के लिए सी.ई.ओज़. को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी जाए, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया। इसी तरह अवैध आक्रमण को हटाने की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए वक़्फ़ को पब्लिक प्रिमाईसेज़ घाषित करने की सिफ़ारिश की गई, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया।

(6) संयुक्त संसदीय समिति ने एन अफ़्सरों को सज़ा देने का सुझाव दिया था

जिनकी अक्षमता के कारण वक़्फ़ संपत्तियों पर से क़ब्ज़ा न हटता हो, लेकिन इस सुझाव को भी नहीं स्वीकार किया गया।

(7) संयुक्त संसदीय समिति ने वक़्फ़ को रेंट कंट्रोल एक्ट से अलग करने के लिए वक़्फ़ क़ानून में ही संशोधन करने की सिफ़ारिश की जिसका बाद में अंतर-मंत्रालय परिषद ने भी समर्थन किया लेकिन इसको भी छोड़ दिया गया।

(8) संयुक्त संसदीय समिति ने कहा था कि वक़्फ़ के मुक़दमें निपटाने के लिए गठित वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्य पूर्णकालिक हों अथवा ट्रिब्यूनल को किसी भी मामले को निपटाने के लिए केवल एक वर्ष दिया जाए। यह भी कहा गया कि वक़्फ़ को आय अधिनियम से छूट दी जाए, लेकिन इस सिफ़ारिश पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

(मौलाना) सैयद अरशद मदनी

अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द

अपनी कार्य-पद्धति के अनुसार जमीअत उलमा-ए-हिन्द वक़्फ़ सम्मेलन के बाद मौन नहीं रही। आदरणीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से उनके निवास पर मुलाक़ात की। आदरणीय मौलाना ने अति स्पष्ठता से काम लेते हुए वक़्फ़ की सुरक्षा के संदर्भ में मांगें प्रस्तुत कीं और कहा कि पुरातत्व की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए अथवा वक़्फ़ डेवलपमेंट एजेंसी के प्रस्ताव को रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को विश्वास दिलाया कि पुरातत्व की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। इस मुलाक़ात की ख़बर लगभग सभी अख़बारों ने स्पष्ट रूप से दी। दैनिक 'इंक़लाब' की सुर्ख़ी थीः ''आसार-ए-क़दीमा की मसाजिद में नमाज़ की इजाज़त मिलेगीः प्रधानमंत्री।'' 'राष्ट्रीय सहारा' की सुर्ख़ी थी : ''वक़्फ़ अमलाक पर पर सिर्फ़ मुसलमानों का तसर्रुफ़ रहेगा'' इसी तरह सभी अख़बारों में आदरणीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत की तस्वीर भी प्रकाशित हुई।

कुछ ही दिन के बाद आदरणीय अध्यक्ष ने अपने एक अख़बारी बयान में वक़्फ़ संपत्तियों पर सरकारी और ग़ैर-सरकारी क़ब्ज़ों के आधार पर मुस्लिम वक़्फ़ की वर्तमान शर्मनाक स्थिति को उजागर करते हुए कहाः-

''देश के विभिन्न राज्यों में बिखरे हुए खरबों रुपये की वक़्फ़

संपत्तियों पर सरकारी और ग़ैर-सरकारी क़ब्ज़ों के आधार पर मुस्लिम वक़्फ़ की तबाही की वर्तमान शर्मनाक स्थिति और केंद्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता और पक्षपाती नीति जमीअत उलमा-ए-हिन्द के लिए अस्वीकार्य है। क्योंकि भारत के करोड़ों पीड़ित और ग़रीब मुसलमानों की शैक्षिक और आर्थिक कंगाली के निवारण में वक़्फ़ का विकास एक मूल भूमिका निभा सकता है जिसमें सबसे बड़ी बाधा केंद्र एवं राज्य सरकारों की वक़्फ़ संस्थओं के साथ असहयोग की नीति है।''

उपरोक्त विचार जमीअत उलमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने एक बयान में प्रकट किया कि संयुक्त संसदीय समिति के रिपोर्ट के सुझावों में हमारी यह मूल मांग शामिल है और हम हमेशा से इसकी मांग करते रहे हैं कि पूरे भारत की वक़्फ़ संपत्तियों को रेंट कंट्रोल एक्ट से छूट दी जाए ताकि वक़्फ़ संस्थाएं मार्कीट वैल्यू के अनुसार वक़्फ़ संपत्तियों के करिए में उचित वृद्धि कर सकें। इसी तरह जिन वक़्फ़ संपत्तियों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों के क़ब्ज़े हैं जिनकी पहचान वक़्फ़ संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में की जा चुकी है, उन्हें तुरंत या तो स्टेट वक़्फ़ बोर्डों के हवाले किया जाए या उन संपत्तियों को मार्कीट वैल्यू के अनुसार वक़्फ़ संस्थओं को किराया दिया जाए।

अध्यक्ष जमीअत हिंद ने अपने बयान में यू.पी.ए. सरकार की वक़्फ़ के प्रति नीति को चुनौती देते हुए इस बात पर यख़्त अफसोस और आशंका प्रकट की कि हमारे पूर्वजों के अरबों-खरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्तियों मौजूदगी के बावजूद स्टेट वक़्फ़ बोर्ड सरकारों के सामने भीख मांगने पर विवश होते हैं कि ग्रांट द्वारा स्टेट वक़्फ़ संस्थओं को तबाही से बचाया जाए। जबकि उन्ही राज्यों में अरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्तियों पर सरकारी और ग़ैर-सरकारी आक्रामक क़ब्ज़ों द्वारा मुसलमानों को आर्थिक रूप से तबाही और बर्बादी का स्थाई सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष जमीअत हिंद मौलाना अरशद मदनी ने पुरातत्व विभाग की नौकरशाही को ललकारते हुए अपने बयान में प्रश्न किया है कि जिन 350 से अधिक वक़्फ़ संपत्तियों पर पुरातत्व विभाग का क़ब्ज़ा है उनसे सटी वक़्फ़ भूमि से होने वाली करोड़ों रुपये की वार्षिक आय का वक़्फ़ टैक्स किसी भी स्टेट वक़्फ़ बोर्ड को पुरातत्व विभाग अदा नहीं कर रहा है। जबकि इन 350 वक़्फ़ संपत्तियों की शरई हैसियत बिलकुल स्पष्ट है कि यह सरकार की मिलकियत नहीं हैं बल्कि

यह वक़्फ़ हैं और जिस तरह एक आम मुतवल्ली पर वक़्फ़ संस्थओं की आय पर वक़्फ़ टैक्स अदा करना अनिवार्य है उसी तरह पुरातत्व विभाग को भी प्रति वर्ष हर राजय के वक़्फ़ बोर्ड को वक़्फ़ टैक्स अदा करना चाहिए।

मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि वक़्फ़ संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी पुरातत्व की इस धांदली को बड़ी स्पष्टता के साथ बयान किया गया है, मौलाना ने अपने बयान में पुरातत्व के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों में अज़ान और नमाज़ पर प्रतिबंध को भी भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान की खुली उल्लंघन क़रार देते हुए मांग की है कि ऐसी सभी मस्जिदों में अज़ान और नमाज़ पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।

मौलाना अरशद मदनी ने वक़्फ़ संपत्तियों की तबाही की दुखद स्थिति का उदाहरण देते हुए हैदराबाद की दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली का हवाला दिया जिसकी 1600 एकड़ वक़्फ़ की क़ीमती ज़मीन में से 600 एकड़ ज़मीन कोड़ियों के भाव प्राईवेट कंपनियों को लीज़ पर दी जा चुकी है और 1000 एकड़ ज़मीन राज्य के राजनेताओं की मिली भगत से बेची जा चुकी है। वक़्फ़ संपत्तियों पर इस सरकारी डाके के ख़िलाफ़ जमीअत उलमा-ए-हिन्द सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। इसी तरह कर्नाटक और मुंबई की उन करोड़ों रुपये की वक़्फ़ संपत्तियों का हवाला दिया जो इन तीनों राज्यों की नौकरशाही की मिली भगत से कोड़ियों के भाव लीज़ पर देदी गई हैं जिनसे स्टेट वक़्फ़ बोर्ड को इतनी वार्षिक आय हो सकती थी जिसके द्वारा उन राज्यों के वक़्फ़ बोर्ड आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते थे।

अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने भारत सरकार की इस पक्षपाती नीति पर भी कड़ी आलोचना की है कि देश के विभिन्न राज्यों में अति मूल्यवान भूमि को ग्रीनलैंड घोषित करके उनके विकास के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि उनही क्षेत्रों में अन्य भूमि पर भव्य बिल्डिंगें बन चुकी हैं। मौलाना मदनी ने सरकार से प्रश्न किया है कि आख़िर हमारी वक़्फ़ संपत्तियों के साथ यह असंवैधानिक खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा।

अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने अपने बयान में वक़्फ़ संशोधन एक्ट 2010 की ख़ामीयों पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि देश में ऐसी हज़ारों वक़्फ़ संस्थाएं हैं जो स्टेट वक़्फ़ बोर्डों से पंजीकृत नहीं हैं। वक़्फ़ संशोधन एक्ट 2010 द्वारा उन सभी संस्थओं को क़ानूनी तौर पर मुक़दमा लड़ने से वंचित किया जा रहा है जो निःसंदेह असहनीय है। वक़्फ़ संशोधन एक्ट की ऐसी बहुत सी

ख़ामियां जिन्हें जमीअत उलमा-ए-हिन्द चिंहित कर चुकी है इन सभी ख़ामियों को दूर करने की मांग करते हुए यह स्पष्ट करना चाहती है कि कोई भी वक़्फ़ संस्था स्टेट वक़्फ़ बोर्ड से पंजीकृत हो या न हो उसे वो सभी संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिएं जो वक़्फ़ बोर्ड से पंजीकृत संस्थओं को प्राप्त हैं।

मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मांग की है कि वक़्फ़ के लिए क़ानून बनाने का मामला सीधे तौर पर इस्लामी क़ानून से संबंधित है इसलिए जब तक वर्तमान वक़्फ़ संशोधन एक्ट पर इस्लामी आलिमों और मफ़्तियों का विश्वास प्राप्त न कर लिया जाए उस समय तक उसे किसी जल्दबाज़ी में कदापि संस्द में प्रस्तुत न किया जाए और अगर ऐसा किया गया तो जमीअत उलमा-ए-हिन्द इस प्रकार के किसी भी निंदनीय प्रयास का विरोध राष्ट्र स्तर पर करेगी।

अपने बयान के अंत में मौलाना अरशद मदनी ने इस दृढ़ संकल्प और साहस का भी उल्लेख किया है कि भारत में मौजूद वक़्फ़ संपत्तियां हमारे पूर्वजों की अमानत हैं, और जमीअत हिंद का इतिहास गवाह है कि उसने अपनी स्थापना से लेकर आज तक हर नाज़ुक अवसर पर वक़्फ़ की सुरक्षा को अपना कर्तव्य माना है और भविष्य में भी हम मुस्लिम वक़्फ़ की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्तर से लेकर संसद तक सत्य की आवाज़ बुलंद करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर भी दस्तक देने के लिए ख़ुद को तैयार कर चुके हैं। क्योंकि हम अपने पूर्वजों की संपत्तियों की सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर होने वाली तबाही पर मूक दर्शक बन कर नहीं बैठ सकते।

इस लिए शासकगण जितना शीघ्र संभव हो सके वक़्फ़ संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए व्यावहारिक क़दम उठाकर मुसलमानों की चिंता को दूर करें।

जमीअत उलमा-ए-हिन्द के नेतृत्व ने इसी पर नहीं रुकी, आदरणीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक कार्य के केंद्रीय मंत्री सलमान ख़ुरशीद से लम्बा पत्राचार जारी रखा। दिनांक 8 सितंबर को लिखे एक विस्तृत पत्र में जो भाषा में था, आदरणीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्री के सामने सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों का अल्पसंख्यक मंत्रालय की बहानेबाज़ी की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए उन पर अपनी राय भी दी। इसके उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री सलमान ख़ुरशीद ने जवाबी ख़त भेजा जिसमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि वक़्फ़ बिल के प्रति जमीअत उलमा-ए-हिन्द के मांगों का ध्यान रखा जाएगा अथवा उन्होंने इस बात को भी

स्वीकार किया कि बिल की जिन ख़ामीयों की ओर जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने ध्यान आकर्षित किया है उनसे विरोध नहीं किया किया जा सकता है।

इस संबंध में अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने एक फ़तवा प्राप्त किया था, उस फ़तवे की नक़ल देखेंः-

1151

ब

वक़्फ़ स्वामित्व के संबंध में फ़तवा

धार्मिक उलमा से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शरीअत के अनुसार मांगे जा रहे हैं, आशा है कि उत्तर प्रदान करेंगे, जिसका बदला अल्लाह देगा।

(1) क्या कोई हिंदू मुशरिक अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर सकता है?

(2) क्या कोई मुशरिक पहले से वक़्फ़ को उपहार में दे सकता है? अगर दे सकता है तो उसका उपहार वक़्फ़ संपत्तियों का हिस्सा बन जाएगा?

(3) क्या कोई ग़ैर-मुस्लिम वक़्फ़ औलाद के लिए भी कर सकता है?

(4) क्या वक़्फ़ की आय के उपभोगता मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम दोनों क़रार दिए जा सकते हैं?

(5) क्या किसी वक़्फ़ अस्पताल या स्कूल को इस बात की अनुमति है कि वो ग़ैर-मुस्लिमों को भी सेवाएं उपलब्ध करे।

(6) किन स्थितियों में वक़्फ़ की संपत्ति बेची या बदली जा सकती है?

(मौलाना) अरशद मदनी

हदीस-अध्यापक, दारुलउलूम देवबंद, अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिन्द

मदनी मंजिल, देवबंद, सहारनपुर, उ.प्र.

1151

ब

शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत दयालु और कृपालु है

जवाब जिसकी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी

(1) हिंदू मुशरिक और मुसलमान दोनों के नज़दीक वह अच्छा और पुण्य का काम है, तो हिंदू मुशरिक वक़्फ़ कर सकता है, उसका वक़्फ़ वैध और सही है।

(2) वक़्फ़ की गई वस्तुएं वक़्फ़कर्ता के स्वामित्व से निकल कर अल्लाह के स्वामित्व में चली जाती है इसलिए मौजूदा वक़्फ़ में वक़्फ़कर्ता के उद्देश्य के ख़िलाफ़ किसी के लिए कोई उपभेग करना जायज़ नहीं, न ही उपहार में उसे देना जायज़ है, न ही उसे बेचना जायज़ है।

(3) जब अच्छे कार्य में ग़ैर-मुस्लिम का वक़्फ़ करना वैध है तो औलाद के लिए वक़्फ़ भी एक नेक कार्य है, इसलिए वो औलाद के लिए भी वक़्फ़ कर सकता है। यह वक़्फ़ वैध हो जाएगा।

(4) अगर वक़्फ़कर्ता ने अपने वक़्फ़-नामे में वक़्फ़ की आय मुसलमानों पर ख़र्च करना स्पष्ट किया है, या वक़्फ़कर्ता मुसलमान है मगर वक़्फ़ का उपभोग स्पष्ट नहीं तो इन दोनों परिस्थितियों में वक़्फ़ की आय के उपभोगता केवल मुसलमान होंगे। हाँ अगर कोई वक़्फ़ आम नागरिकों के लाभ के लिए किया है, जैसे कुँआं, नल, प्याऊ आदि तो मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम दोनों उससे लाभ उठा सकते हैं।

(5) अगर मुसलमान वक़्फ़कर्ता ने अस्पताल या स्कूल को केवल मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया है तो इसमें ग़ैर-मुस्लिमों को सेवाएं उपलब्ध करना जायज़ नहीं, और अगर वो वक़्फ़ मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम दोनों के लिए आम है तो इसमें दोनों के लिए सेवाएं उपलब्ध करना जायज़ है।

(6) इस्लामी शरीयत में वैध एवं पूर्ण वक़्फ़ में किसी प्रकार का परिवर्तन और बदलाव जायज़ नहीं। अर्थात उसे बेचना, अदला-बदली करना, या वक़्फ़कर्ता की इच्छा के ख़िलाफ़ कोई उपभोग करना जायज़ नहीं, परन्तु अगर वक़्फ़ की गई वस्तु बिलकुल व्यर्थ हो जाए या उसके नष्ट हो जाने की पक्की आशंका हो तो उलमा की सलाह से उसे बेच कर या अदला- बदली करके स्थान पर अन्य संपत्ति को उसी जैसी वक़्फ़ कर सकते हैं। समाप्त, अल्लाह ही उत्तम जानने वाला है।

हबीबुर्रहमान
(मुफ़्ती दारुलउलूम देवबंद)
4 शाबान 1432 हिजरी

जवाब सही है	जवाब सही है	जवाब सही है
वक़ार अली	**महमूद हसन बुलंद शहरी**	**फ़ख़रुल इस्लाम**

जमीअत उलमा-ए-हिन्द का वक़्फ़ संपत्तियों के प्रति सेवा और संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है जिसकी कोई और संगठन बराबरी नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में जमीअत उलमा-ए-हिन्द के प्रयासों की पूरी कथा पुस्तक के रूप में मौजूद है जिसका शीर्षक है ''औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीअत उलमा-ए-हिन्द की जद्दोजहद''। इसी तरह संगठन ने वक़्फ़ एक्ट 1955 का उर्दू में अनुवाद पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। टंग्रेज़ी शासन-काल में सबसे पहले 1923 में बनाए गए मुसलमान वक़्फ़ एक्ट को स्वतंत्रता के बाद संशोधन कराके नया एक्ट बनाने में जमीअत उलमा-ए-हिन्द का प्रयास महत्वपूर्ण था। उस समय की स्थिति से सब ही अवगत हैं कि मुसलमान भारत के विभाजन के झटके से बड़ी हद तक साहसहीन हो चुके थे, ऐसे समय में सरकार से प्रतिनिधित्व करना यह जमीअत उलमा-ए-हिन्द के नेतृत्व के साहस की बात थी। चुनांचे 1954 में नया वक़्फ़ एक्ट पास हुआ, फिर भी वह इससे संतुष्ट हो कर नहीं बैठ गई, वह इस एक्ट को वक़्फ़ संपत्ति के हित में और लाभकारी एवं प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रही, सम्मेलनों का आयोजन किया, सत्ता के गलियारों में प्रतिनिधित्व जारी रखा और अपने नैतिक और राजनीतिक प्रभाव को प्रयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में इस एक्ट में और संशोधन किया गया और इसमें मौजूद पिछली ख़ामियों को दूर किया गया। अब इस नए संशोधित प्रस्तावित वक़्फ़ एक्ट पर भी वह पूर्ण रूप से सक्रिय है। मुस्लिम मुद्दों जमीअत उलमा-ए-हिन्द के नेतृत्व ने हमेशा मुस्लिम एकता और एकजुटता की भावना का ध्यान रखा है। इसलिए वक़्फ़ के मुद्दे पर भी उसने अपने संघर्ष में मुस्लिम संगठनों और संस्थओं को शामिल करने में कोई संकीर्णता का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस देश में उसके नाम वक़्फ़ की गई संपत्तियों की न केवल सुरक्षा बल्कि उनका उचित उपभोग भी किया जाएगा।

❖●❖

“वक़्फ़ धार्मिक रूप से हमेशा सम्मान जनक रहा है, यह वक़्फ़कर्ता का पवित्र अवशेष कार्य होता है, जिसके द्वारा ज़रूरतमंदों को दीर्धकालिक लाभ और वक़्फ़कर्ता को सदैव पुन्य मिलता हैंवर्तमान में मुसलमानों की आर्थिक कठिनाइयों और आवश्यकताओं को देखते हुए वक़्फ़ का महत्व बहुत बढ़ जाता हैंमस्जिद और अन्य इबादत-गाहों, ख़ानक़ाहों, क़ब्रिस्तानों अथवा धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक आवश्यकताएं, शिक्षण छात्रवृत्ति, अनाथों और विधवा महिलाओं की देखभाल और इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण

उद्धरण अध्यक्षीय भाषण
सतरहवीं जन-सभा, अप्रैल 1951, हैदराबाद
शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी